

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक,
सेन्ट्रल माईन प्लानिंग
एण्ड डिजाईन इन्स्टीट्यूट, लिमिटेड
क्षेत्रीय संस्थान 6, पोस्ट-जयन्त कालरी
जिला सीधी म०प्र०

विषय: - सीधी जिले में संरक्षित वनखंड दुधियुआँ कक्ष क्रमसं पी 46 से पी 50 के अन्तर्गत सी०एम०पी० डी०आई०, जयन्त द्वारा 120 बोर होल करने बावत, पूर्व/सर्वेक्षण अनुमति बावत ।

सन्दर्भ: - मुख्य वनसंरक्षक भू० सर्वे० एवं वन संरक्षण अधिनियम, सतपुड़ा भवन, म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक/12/भू०सर्वे०/व०सं०/5268-69 दिनांक 5.12.94 तथा वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा पत्र क्रमांक/मा०चि०/9922 दिनांक 14.12.94.

मुख्य वनसंरक्षक भू०सर्वे०/वनसंरक्षण अधिनियम सतपुड़ा भवन, म०प्र० भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा संरक्षित वन खंड दुधियुआँ के निम्नानुसार कक्षों के क्षेत्र में बोरहोल कर कोयले के भण्डार का पता लगाने हेतु 4.5" व्यास के लगभग 200 से 450 मी० गहराई के निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है ।

क्षेत्र/ब्लाक	बोरहोल संख्या	वनक्षेत्र प्रकोष्ठ बार हे० में				
		पी46,	पी47,	पी48,	पी49,	पी50 योग हे०
बुन्देला	20	423	153	11	-	587
बघेला	25	304	-	-	-	304
चन्देला	40	11	-	34	270	207 522
	85	738	153	45	270	207 1413

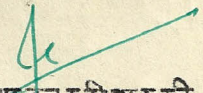
इस प्रकार 85 बोर होल तथा 1413 हे० वन क्षेत्र में 2 वर्ष के लिए कोयले के भण्डार के पता लगाने हेतु पूर्व/सर्वेक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ।

पूर्व/सर्वेक्षण के दौरान न तो कोई वृक्ष काटे/छाटे जाये और न ही किसी वृक्ष को कोई क्षति पहुँचाई जावे ।

पूर्व/सर्वेक्षण कार्य ड्रिलिंग द्वारा बोर होल करके ही किया जावे ।

23/12/94
23/12/94
23/12/94

- ॥३॥ पूर्वक्षेत्र/सर्वक्षेत्र के दौरान कार्य में लाये गये श्रीमको ग द्वारा वनों को कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो उसका मुआवजा जो भी पैधानिक रूप से आंकलन किया जावेगा आपको देय होगा ।
- ॥४॥ खनिज उपलब्ध होने पर वन भूमि लीज पर देने की शासन की बाध्यता नहीं रहेगी ।
- ॥५॥ पूर्वक्षेत्र के दौरान सम्बन्धित क्षेत्र के रेंज असिस्टेन्ट मोरवा के देख-रेख में लिया जावेगा । पूर्वक्षेत्र
- ॥६॥ पूर्वक्षेत्र का कार्य पूर्ण होने पर प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा जावेगा ।


 वन मण्डलाधिकारी
 पूर्व सीधी वन मण्डल सीधी
 १५/१२ जिला-सीधी ॥म०प्र०॥

क्रमांक/मा०चि०/

दिनांक-

प्रतिलिपि:- उपवनमण्डलाधिकारी बैटन एवं परिक्षेत्राधिकारी बैटन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जारी । मुख्य वन संरक्षक भूपसर्वे०/वनसंरक्षक म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक 5269 दिनांक 5-12-94 द्वारा पूर्वक्षेत्र/सर्वक्षेत्र की अनुमति प्रदान की गई है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है । उपरोक्त क्षेत्र में सम्बन्धी संस्थान के पूर्वक्षेत्र/सर्वक्षेत्र का कार्य रेंज असि० मोरवा की देख भाल में होगा । पूर्वक्षेत्र/सर्वक्षेत्र केवल रेंज असि० मोरवा उपस्थित रहेंगे ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार •

वन मण्डलाधिकारी
 पूर्व सीधी वन मण्डल सीधी
 जिला - सीधी ॥म०प्र०॥